2023 का विधेयक सं.21

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तित करने और राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन भी करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर नाम परिवर्तन और संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन.- 1) राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 2017 का अधि नियम सं. 6), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर होगा।

2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति किया गया कोई भी निर्देश, इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति किये गये निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वयित किया जायेगा।

3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

3. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 के रूप में प्रोद्धृत किया जा सकेगा।

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन.- मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जयपुर में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जयपुर में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 1 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा 1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

i) विद्यमान खण्ड थ) और द) हटाये जायेंगे; और

ii) विद्यमान खण्ड यछ) के स्था न पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"यछ) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन यथास्थापित और निगमित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है; और"।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 में, विद्यमान खण्ड क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"कक) संबद्ध महाविद्यालयों और संस्था ओं का निरीक्षण करना और उनके द्वारा शिक्षण, अनुदेश और कौशल प्रशिक्षण के उचित स्तर बनाये रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए अध्युपाय करना;"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 11 का संशोधन.- विद्यमान मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा 2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

2) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

i)	कुलपति	पदेन अध्यक्ष;
ii)	प्रभारी शासन सचिव, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
iii)	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
iv)	प्रभारी शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
v)	प्रभारी शासन सचिव, उद्योग विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
vi)	आयुक्त, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	पदेन सदस्य;
vii)	राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला राजस्थान विधान सभा का एक सदस्य	सदस्य;
viii)	कौशल शिक्षा के क्षेत्र से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्रख्यात शिक्षाविद्	सदस्य;

ix)	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो उद्योगपति	सदस्य;
x)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक निदेशक	सदस्य;
xi)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक संकायाध्यक्ष	सदस्य;
xii)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य	सदस्य;
xiii)	कुल-सचिव	पदेन सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रत्येक" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संकाय" के पूर्व, अभिव्यक्ति "विषय या विषयों के समूह से संबंधित" अंत:स्थापित की जायेगी।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"21. कुलपति.- 1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में विज्ञान या प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी या गणित या डिजाइन या प्रबंधन या कौशल शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध

और/ या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;

ख) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्य क्ति; और

घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर/ तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा 3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा 10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा 9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, किसी राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख

सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

क) प्रत्ये क ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वैतनिक छुट्टी; और

ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी धारा 21-क का अंत:स्थापन.- इस प्रकार संशोधित धारा 21 के पश्चात् और मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 22 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"21-क. कुलपति का हटाया जाना.- 1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इन्कार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलम्बित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

2) उप-धारा 1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लम्बित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।"।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 की विद्यमान उप-धारा 9) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा 10) से पूर्व, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

" 9-क) कुलपति, यह समाधान हो जाने पर कि किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी कोई कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकारी की शक्तियों के परे है, उस प्राधिकारी से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकारी उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें विफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा 2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या भारतीय प्रशासनिक सेवा" हटायी जायेगी।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 25 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा 1) के खण्ड क)

में विद्यमान अभिव्यक्ति "वह विश्वविद्यालय" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में नीतिगत विषयों" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और उससे संबद्ध महाविद्यालयों" अंत:स्थापित की जायेगी।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में धारा 35-क और 35-ख का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 35 के पश्चात् और विद्यमान धारा 36 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**35-क. आर्डिनेन्स.-** इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;

(ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और

(ङ) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो।

35-ख. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.- (1) बोर्ड, इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना सकेगा, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा 2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे, भागत: या पूर्णत:, नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह, यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 में नयी **धारा 40-क, 40-ख और 40-ग का अंत:स्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 40 के पश्चात् और विद्यमान धारा 41 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**40-क. अंत:कालीन उपबंध.-** (1) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946 के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये समस्त नोटिस और आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन तत्समान प्राधिकारी द्वारा बनाये हुए या जारी किये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित न कर दिया जाये।

40-ख. अस्थायी व्यवस्थाएं.- (1) इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, कर सकेगा।

40-ग. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय, कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार और नेतृत्व विकास संस्थान, जयपुर और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. भा.औ.वि.नि. लि.) के मध्य समझौता ज्ञापन के अवसान और भा.औ.वि.नि. लि. द्वारा वित्तीय दायित्व को पूरा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने प्रबंध बोर्ड की संरचना और विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 6) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित है।

2017 के उक्त अधिनियम में चयन की अर्हता और प्रक्रिया और कुलपति को हटाने संबंधी उपबंध सम्मिलित किये जाने हैं। तदनुसार, धारा 21 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है और अधिनियम में एक नयी धारा 21-क अंत:स्थापन द्वारा जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यकरण में सहायता करने के लिए अधिनियम में आर्डिनेन्स से संबंधित उपबंध, अंत:कालीन उपबंध, अस्थायी व्यवस्थाएं और अवशिष्ट उपबंध सम्मिलित किये जाने आवश्यक हैं। तदनुसार, अधिनियम में धारा 35-क, 35-ख, 40-क, 40-ख और 40-ग अंत:स्थापन द्वारा जोड़ी जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुछ पारिणामिक संशोधन किये जाने अपेक्षित हैं। तदनुसार, सुसंगत धाराएं संशोधित की जानी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 16, यदि अधिनियमित किया जाता है तो विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकारियों को उक्त खण्ड में उल्लिखित मामलों के संबंध में आर्डिनेन्स बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 6) से लिये गये उद्धरण

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017

राजस्थान राज्य में जयपुर में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

XX XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 है।

2) से 3) XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) से त) XX XX XX XX XX

थ) "भा.औ.वि.नि. लि." से कंपनी अधिनियम, 1956 1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सरकारी कंपनी- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. अभिप्रेत है;

द) " आई.एल.डी." से राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी- इन्स्टीट्यूट ऑफ लिडरशीप डवलपमेन्ट, जयपुर अभिप्रेत है;

ध) से यच) XX XX XX XX XX

यछ) "विश्व विद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथास्थापित और गठित राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अभिप्रेत है; और

यज) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.- 1) राजस्थान राज्य में राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम से जयपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा।

2) से 6) XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

11. प्रबन्ध बोर्ड और उसका गठन.- 1) XX XX XX XX

2) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

i)	कुलपति	पदेन अध्यक्ष;
ii)	प्रभारी शासन सचिव, कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
iii)	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग या उसका उप सचिव से अनिम्न रैंक का नामनिर्देशिती	पदेन सदस्य;
iv)	आयुक्त, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	पदेन सदस्य;
v)	भा.औ.वि.नि. लि. द्वारा नामनिर्दिष्ट ग्यारह व्यक्ति	सदस्य;
vi)	राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला राजस्थान विधान सभा का एक सदस्य	सदस्य;
vii)	कौशल शिक्षा के क्षेत्र से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्रख्यात शिक्षाविद्	सदस्य;
viii)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक निदेशक	सदस्य;
ix)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक संकायाध्यक्ष	सदस्य;
x)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य	सदस्य;
xi)	कुल-सचिव	पदेन सदस्य-

सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रभारी शासन सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

3) से 8) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

16. संकाय और उनके अध्ययन बोर्ड.- 1) XX XX XX

2) से 4) XX XX XX XX XX

5) प्रत्येक संकाय के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन इस प्रकार होगा, जो विहित किया जाये और संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

6) XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

21. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और परिनियमों द्वारा विहित चयन समिति की सिफारिश पर पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

2) कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की पात्रता, और उप-धारा 1) में निर्दिष्ट पैनल की तैयारी के लिए रीति, मानदंड और प्रक्रिया ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

3) कुलपति की पदावधि उस तारीख से , जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा

संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(5) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा 1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा 6) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(6) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा 5) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(9) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्थान या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(10) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(11) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(12) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

क) प्रत्ये क ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

ख) सेवा के प्रत्ये क पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

XX XX XX XX XX

23. कुल-सचिव.- 1) XX XX XX XX XX

2) कुल-सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा चयनित वेतनमा न से अनिम्न) या भारतीय प्रशासनिक सेवा में के इसके अधिकारियों में से की जायेगी।

3) से 7) XX XX XX XX

XX

XX XX XX XX XX

25. निदेशक, संकायाध्यक्ष, पुस्तकालयाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक आदि.- 1) क) एक कौशल शिक्षा निदेशक होगा जो अ ध्यापन के शैक्षणिक समन्वय और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रवेश और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के प्रबंध और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय में नीतिगत विषयों और निवासी अनुदेश से संबंधित पद्धति और शैक्षिक प्रोद्यौगिकी के विकास से सरोकार रखेगा।

ख) से ग) XX XX XX XX XX

2) से 8) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

<u>Bill No.21 of 2023</u>

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN ILD SKILLS UNIVERSITY, JAIPUR (CHANGE OF NAME AND AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur and also to make certain amendments in the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur (Change of Name and Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur.- (1) The name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur incorporated under the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017 (Act No. 6 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be the Vishvakarma Skills University, Jaipur.

(2) Any reference to the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as the Vishvakarma Skills University, Jaipur Act, 2017.

4. Amendment of Long Title, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In long title of the principal Act, for the existing expression

"Rajasthan ILD Skills University at Jaipur", the expression *"Vishvakarma Skills University at Jaipur"* shall be substituted.

5. Amendment of section 1, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In sub-section (1) of section 1 of the principal Act, for the existing expression "the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur", the expression " the Vishvakarma Skills University, Jaipur" shall be substituted.

6. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In section 2 of the principal Act,**-**

(i) the existing clauses (q) and (r) shall be deleted; and

(ii) for the existing clause (zg), the following shall be substituted, namely:-

"(zg) "University" means the Vishvakarma Skills University, Jaipur as established and incorporated under section 3; and".

7. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, for the existing expression "the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur", the expression "the Vishvakarma Skills University, Jaipur" shall be substituted.

8. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In section 7 of the principal Act, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(aa) to inspect affiliated colleges and institutions and to take measures to ensure that proper standards of teaching, instructions and skill training are maintained by them;".

9. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- For the existing sub-section (2) of section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Board of Management shall consist of the following, namely:-

(i)	the Vice-Chancellor	Ex-officio

Chairman;

(ii)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of Skill, Employment and Entrepreneurship or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(iii)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of Finance or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(iv)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of Technical Education or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(v)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of Industries or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(vi)	the Commissioner of Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation	Ex-officio Member;
(vii)	one Member of the Rajasthan Legislative Assembly to be nominated by the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly	Members;
(viii)	two eminent educationists from the field of Skill Education to be nominated by the State Government	Members;
(ix)	two industrialists to be nominated by the State Government	Members;
(x)	one Director to be nominated by the Vice- Chancellor	Member;
(xi)	one Dean to be nominated by the Vice- Chancellor	Member;
(xii)	one Professor to be nominated by the Vice- Chancellor	Member;
(xiii)	Registrar	Ex-officio Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.".

10. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In sub-section (5) of section 16 of the principal Act, after the existing word "each" and before the existing word "Faculty", the expression "subject or group of subjects pertaining to the" shall be inserted.

11. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- For the existing section 21 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**21. The Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years' experience as Professor in a University or college in the field of Science or Technology or Engineering or Mathematics or Design or Management or Skill-Education or ten years' experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-

(a) one person nominated by the Board;

(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher/technical education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the Country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reasons of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice

of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

12. Insertion of new section 21-A, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- After section 21 so amended and before the existing section 22 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**21-A. Removal of Vice-Chancellor.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully

omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitle;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.".

13. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- After the existing sub-section (9) and before the existing sub-section (10) of section 22 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(9-a) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be

referred to the Board or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.".

14. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the existing expression "or of Indian Administrative Service" shall be deleted.

15. Amendment of section 25, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- In clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the principal Act, after the existing word "University" and before the existing word "and", the expression "and its affiliated colleges" shall be inserted.

16. Insertion of new sections 35-A and 35-B, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- After the existing section 35 and before the existing section 36 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**35-A. Ordinances.-** Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the course of study, admission or enrolment of students,fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;

(b) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;

(c) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefor and other related matters;

(d) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University; and

(e) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

35-B Ordinances how made.- (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matter shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board, within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he shall, as soon as possible, inform the Board of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance and his decision shall be final.".

17. Insertion of new sections 40-A, 40-B and 40-C, Rajasthan Act No. 6 of 2017.- After the existing section 40 and before the existing section 41 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**40-A. Transitory provisions.-** (1) All Statutes, Ordinances and Regulations made under the University of Rajasthan Act, 1946 shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and shall continue to be in force until they are superseded or modified by the Statutes, Ordinances, or Regulations made under this Act.

(2) All notices and orders, made or issued by any authority under the University of Rajasthan Act, 1946, shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made or issued by the corresponding authority under this Act and shall continue to be in force until they are superseded or modified under this Act.

40-B. Temporary arrangements.- (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Chancellor, to carry out the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointment.

40-C. Residuary provisions.-The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt with in this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final and shall not be liable to be challenged in any Court or Tribunal.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Consequent to expiration of MOU between the State Government and Institute of Leadership Development, Jaipur and Industrial Financial Corporation of India Ltd. (IFCI Ltd.) and failure of fulfillment of financial liability by IFCI Ltd., the State Government has decided to change the composition of Board of Management and Name of the University. Accordingly, certain amendments are proposed in the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017 (Act No. 6 of 2017).

Provisions regarding qualifications and procedure of selection and removal of Vice-Chancellor are to be incorporated in the said Act of 2017. Accordingly, section 21 is proposed to be amended and a new section 21-A is proposed to be added in the Act.

In order to help smooth functioning of the University, provisions regarding Ordinances, Transitory provisions, Temporary arrangements and Residuary provisions are necessarily to be incorporated in the Act. Accordingly, sections 35-A, 35-B, 40-A, 40-B and 40-C are proposed to be added in the Act.

Also, a few consequential amendments are required to be made in the various sections of the Act. Accordingly, relevant sections are proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 16 of the Bill, if enacted, shall empower the University or its authorities to make Ordinances with respect to the matters enumerated in the said clause.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

अशोक,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN ILD SKILLS UNIVERSITY, JAIPUR ACT, 2017

(Act No. 6 of 2017)

THE RAJASTHAN ILD SKILLS UNIVERSITY, JAIPUR ACT, 2017

An

Act

to establish and incorporate Rajasthan ILD Skills University at Jaipur in the State of Rajasthan.

XX XX XX XX XX XX

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017.

(2) to (3) xx xx xx xx xx xx

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) to (p) xx xx xx xx xx xx

(q) "IFCI Ltd." means the Industrial Finance Corporation of India Ltd., a Government company registered under the Companies Act, 1956 (Central Act No.1 of 1956);

(r) "ILD" means the Institute of Leadership Development, Jaipur, a society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No.28 of 1958);

(s) to (zf) xx xx xx xx xx xx

(zg) "University" means the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur as established and constituted under this Act; and

(zh) xx xx xx xx xx xx

3. Establishment and incorporation of the University.- (1) There shall be established in the State of Rajasthan a University

at Jaipur by the name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur.

(2) to (6) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

11. The Board of Management and its constitution.- (1) xx xx

(2) The Board of Management shall consist of the following, namely:-

(i)	the Vice-Chancellor	Ex-officio Chairman;
(ii)	the Secretary to the Government in-charge of the Department of Skill, Employment and Entrepreneurship or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(iii)	the Secretary to the Government in-charge of the Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary	Ex-officio Member;
(iv)	the Commissioner of the Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation	Ex-officio Member;
(v)	Eleven persons nominated by the IFCI Ltd.	Member;
(vi)	one Member of Rajasthan Legislative Assembly to be nominated by the Speaker of the RajasthanVidhan Sabha	Member;
(vii)	two eminent educationists from the field of skill education to be nominated by the State Government	Member;
(viii)	one Director to be nominated by the Vice-Chancellor	Member;
(ix)	one Dean to be nominated by the Vice-Chancellor	Member;

(x)	one Professor to be nominated by the Vice-Chancellor	Member;
(xi)	Registrar	Ex-officio Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(3) to (8) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

16. Faculties and their Board of Studies.- (1) xx xx xx xx

(2) to (4) xx xx xx xx xx

(5) There shall be a Board of Studies for each Faculty, the constitution of which shall be such as may be prescribed and Dean of the Faculty concerned shall be the Chairman of the Board of Studies.

(6) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

21. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Selection Committee prescribed by the Statutes.

(2) The eligibility of the person to be appointed as Vice-Chancellor, and the manners, criteria and procedure for preparation of the panel referred to in sub-section (1), shall be such as may be prescribed.

(3) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(4) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(5) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (6).

(6) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (5), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the function of the office of the Vice-Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(9) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institute or university, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(10) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled for travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(12) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

XX XX XX XX XX XX

23. Registrar.- (1) xx xx xx xx xx

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government from one of its officers of the Rajasthan Administrative Service (not below selection scale) or of Indian Administrative Service.

(3) to (7) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

25. Directors, Deans, Librarian, Controller of Examinations etc.- (1) (a) There shall be a Director of Skill education who shall be responsible for academic coordination for teaching and admission of under graduate and Post-graduate and management and control of examinations at under graduate and Post-graduate levels. He will be concerned with the policy matters and system regarding resident instructions in the University and development of educational technology.

(b) to (c) xx xx xx xx xx xx

(2) to (8) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 21 of 2023

THE RAJASTHAN ILD SKILLS UNIVERSITY, JAIPUR (CHANGE OF NAME AND AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to change the name of the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur and also to make certain amendments in the Rajasthan ILD Skills University, Jaipur Act, 2017.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ashok, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 21

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तित करने और राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन भी करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(अशोक, **प्रभारी मंत्री)**